

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1122 सन 2020

अनवान :-

1. सुनील कुमार बैनीवाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमृतादेवी पुत्री हरदयाल पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी 34 आरडब्ल्यूडील गन्धेली तहसील रावतसर ।
2. गोमती पुत्री हरदयाल पत्नी पूर्णा जाति जाट निवासी 34 आरडब्ल्यूडी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. शर्मिला पुत्री मोहनी पुत्री हरदयाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. मदनलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. गुडडी पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
6. अरविन्द कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 10/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता संख्या 16/10 की कुल 8.8550 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व मृतक अमरसिंह व मोहनी के नाम व रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 2/2 की कुल 0.506 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरदयाल वल्द राजेराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरदयाल वल्द राजेराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र/पुत्रीयो वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6 के नाम से दर्ज हुई।

हरदयाल पुत्र राजेराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसके पुत्र पुत्री अमरसिंह, मोहनी, मदनलाल, अमृतादेवी, गोमती हुए जिसमें से अमरसिंह व मोहनी फोट हो चुके है अमरसिंह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6 है एव मोहनी के जायज वारिसान उसकी पुत्री शर्मिला प्रतिवादी संख्या 3 हुए

प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादी की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादी की मृतक बुआ की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 5 वादी की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी का चाचा है ने वाद भूमि में अपने हकों का त्याग कर अन्य चक मे भूमि रख ली है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 व मृतक अमरसिंह व मोहनी के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

22

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज हरदयाल वल्द राजेरामके नाम से दर्ज थी हरदयाल एवं उनके पुत्र/पुत्रीयो के देहान्त होने पर वाद भूमि वर्तमान में मृतक अमरसिह, मोहनी , प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नमा से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बाराणी के खाता संख्या 16/10 की कुल 8.8550हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व मृतक अमरसिह व मोहनी के नाम व रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 2/2 की कुल 0.506हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरदयाल वल्द राजेराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरदयाल वल्द राजेराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र/पुत्रीयो वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के नाम से दर्ज हुई।

हरदयाल पुत्र राजेराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसके पुत्र पुत्री अमरसिह , मोहनी , मदनलाल, अमृतादेवी , गोमती हुए जिसमें से अमरसिह व मोहनी फोट हो चुके है अमरसिह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 है एव मोहनी के जायज वारिसान उसकी पुत्री शर्मिला प्रतिवादी संख्या 3 हुए

प्रतिवादी संख्या 1 2 वादी की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादी की मृतक बुआ की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 5 वादी की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी का चाचा है ने वाद भूमि में अपने हकों का त्याग कर अन्य चक मे भूमि रख ली है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बाराणी के खाता संख्या 16/10 की कुल 8.8550हैक् भूमि

प्रतिवादी संख्या 4 व मृतक अमरसिंह व मोहनी के नाम व रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 2/2 की कुल 0.506हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दीयों के अनुसार वाद भूमि हरदयाल पुत्र राजेराम जिनका देहान्त है चुका है हरदयाल पुत्र राजेराम के पुत्र अमरसिंह एवं पुत्री मोहनी का भी देहान्त हो चुका है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व मृतक अमरसिंह व मोहनी के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का विरास्तन से बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता संख्या 16/10 की कुल 8.8550हैक् भूमि मदनलाल मृतक अमरसिंह व मोहनी के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 2/2 की कुल 0.506हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के नाम से दर्ज है मे से प्रतिवादी संख्या 5 गुडडी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 20/19 की कुल 2.2770हैक् व रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 79/79 की कुल 3.7950हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुनील कुमार बैनीवाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमृतादेवी पुत्री हरदयाल पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी 34 आरडब्ल्यूडील गन्धेली तहसील रावतसर।
2. गोमती पुत्री हरदयाल पत्नी पूर्णा जाति जाट निवासी 34 आरडब्ल्यूडी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. शर्मीला पुत्री मोहनी पुत्री हरदयाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. मदनलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. गुडडी पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. अरविन्द कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1122 सन 2020 निर्णय दिनांक-10/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बाराणी के खाता संख्या 16/10 की कुल 8.8550 हैक् भूमि मदनलाल मृतक अमरसिंह व मोहनी के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 2/2 की कुल 0.506 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6 के नाम से दर्ज है मे से प्रतिवादी संख्या 5 गुडडी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 20/19 की कुल 2.2770 हैक् व रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 79/79 की कुल 3.7950 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4, 5 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)